



# सरकारी गजट, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेशीय सरकार द्वारा प्रकाशित

## असाधारण

### विधायी परिशिष्ट

भाग-1 खण्ड (क)  
(उत्तर प्रदेश अधिनियम)

लखनऊ, सोमवार, 22 नवम्बर, 1976  
अग्रहायण 1, 1898 शक सम्वत्

उत्तर प्रदेश सरकार  
विधायिका अनुभाग-1

संख्या 4975/सत्रह-वि०-1-171-76  
लखनऊ, 22 नवम्बर, 1976

#### अधिसूचना विविध

'भारत का संविधान' के अनुच्छेद 200 के अधीन राज्यपाल महोदय ने उत्तर प्रदेश विधान मण्डल द्वारा पारित खाद्य अपमिश्रण (उत्तर प्रदेश संशोधन) विधेयक 1976 पर दिनांक 19 नवम्बर, 1976 ई० को अनुमति प्रदान की और वह उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 43, 1976 के रूप में सर्वसाधारण की सूचनार्थ इस अधिसूचना द्वारा प्रकाशित किया जाता है।

खाद्य अपमिश्रण निवारण (उत्तर प्रदेश संशोधन) अधिनियम, 1976  
(उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 43, 1976)

[जैसा उत्तर प्रदेश विधान मण्डल द्वारा पारित हुआ]

खाद्य अपमिश्रण निवारण अधिनियम, 1954 का उत्तर प्रदेश में अपनी प्रवृत्ति के सम्बन्ध में अक्षतर संशोधन करने के लिए

#### अधिनियम

भारत गणराज्य क सत्ताईसवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है :—

1---(1) यह अधिनियम खाद्य अपमिश्रण निवारण (उत्तर प्रदेश संशोधन) अधिनियम, 1976 कहा जायगा।

(2) इसका विस्तार सम्पूर्ण उत्तर प्रदेश में होगा।

(3) यह 1 अप्रैल, 1976 से प्रवृत्त समझा जायगा।

संक्षिप्त नाम,  
विस्तार और  
प्रारम्भ

2---खाद्य, औषधि तथा प्रसाधन सामग्री अपमिश्रण निवारण (उत्तर प्रदेश संशोधन) अधिनियम, 1974 की धारा 6 में, खण्ड (1), (2), (3) और (5) एतद्वारा निकाले जाते हैं।

उत्तर प्रदेश  
अधिनियम संख्या  
47, 1975 के  
कतिपय उपबन्धों

उत्तर प्रदेश असाधारण मजद, 22 नवम्बर, 1976

No. 4975/XVII-V-1—171-76

Dated Lucknow, November 22, 1976

In pursuance of the provisions of clause (3) of Article 348 of the Constitution of India, the Governor is pleased to order the publication the following English translation of the Khadya Apamishran Niwaran (Uttar Pradesh Sanshodhan) Adhiniyam, 1976 (Uttar Pradesh Adhiniyam Sankhya 43 of 1976) as passed by the Uttar Pradesh Legislature and assented to by the Governor on November 19, 1976:

THE PREVENTION OF FOOD ADULTERATION (UTTAR PRADESH AMENDMENT) ACT, 1976

[U. P. Act No. 43 of 1976]

(As passed by the Uttar Pradesh Legislature)

AN  
ACT

further to amend the Prevention of Food Adulteration Act, 1954,  
in its application to Uttar Pradesh

It is hereby enacted in the Twenty-seventh Year of the Republic of India as follows:—

Short title,  
extent and com-  
mencement.

1. (1) This Act may be called the Prevention of Food Adulteration (Uttar Pradesh Amendment) Act, 1976.

(2) It extends to the whole of Uttar Pradesh.

(3) It shall be deemed to have come into force on April 1, 1976.

Omission of  
certain provisions  
of U.P. Act 47  
of 1975.

2. In section 6 of the Prevention of Adulteration of Food, Drugs and Cosmetics (Uttar Pradesh Amendment) Act, 1974, clauses (i), (ii), (iii) and (v) are hereby omitted.

अज्ञा से,  
कैलाश नाथ गोयल,  
सचिव।